संख्या- 46/2017/914/33-3-2017-112/2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
एवं
अध्यक्ष, जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी,
उत्तर प्रदेश ।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक : 17 मई, 2017**

विशय:-स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत चयनित 30 जनपदों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक तथा सम्पूर्ण प्रदेश को दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौचमुक्त करने में ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की महिला समाख्या की महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।

महोदय,

आप अवगत है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सरकार का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चयनित 30 जनपदों को प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक और सम्पूर्ण प्रदेश को दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 तक खुले में शौंच मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। उक्त वृहद और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य की समयबद्ध पूर्ति के लिए ग्राम स्तर पर कार्यरत ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला कल्याण एंव बाल विकास विभाग की महिला समाख्या की महिलाओं की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है। अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायी जाय :-

लक्ष्य का निर्धारण

1. प्रत्येक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाओं को सामान्यतया उनकी तैनाती की ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में लाभार्थियों को प्रेरित कर दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक न्यूनतम 25-25 शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
2. यदि कोई ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाओं जिन्हें समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता (सी0एल0टी0एस0) विधा के अन्तर्गत पूर्व से ही प्रशिक्षित स्वच्छाग्रही है तो उसके स्वामित्व में सौपी गयी ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम के निकट किसी अन्य ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्राम को इस प्रयोजन हेतु उसे आवंटित किया जायेगा।

प्रशिक्षण

सी0एल0टी0एस0 विधा में अप्रशिक्षित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार

http://shasanadesh.up.nic.in

3. सेवक और महिला समाख्या की महिलाओं को जनपद स्तर/ विकास खण्डस्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें सी0एल0टी0एस0 के महत्वपूर्ण टूल्स यथा खुले में शौंच की जगह का भ्रमण (शर्मसार यात्रा), मल का सामुदायिक मानचित्रीकरण, मल की मात्रा की गणना, चिकित्सा व्यय की गणना, मोबाइल टूल तथा खुले में षौच एवं महिलाओं के आत्मसम्मान आदि पर विस्तृत जानकारी दी जायेगी और उन्हें प्रशिक्षित स्वच्छाग्रहियों के साथ **On the Job** प्रशिक्षण भी दिया जायेगा जिससे कि वे अपनी आवंटित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम में ग्रामवासियों से प्रभावी संवाद स्थापित करते हुए उनमें व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए वे ट्रिगरिंग करने में दक्ष हो सके। प्रशिक्षण में इस बात पर भी विशेश बल दिया जायेगा कि बिना व्यवहार परिवर्तन किये मात्र शौचालयों का निर्माण कदापि उपयोगी नही होगा।

स्वयं के घर में शौचालय निर्मित होने की घोषणा

4. समस्त ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाओं द्वारा एक सप्ताह के अन्दर इस आषय की एक लिखित घोषणा संलग्न प्रारूप-1 पर देनी होगी कि उनके स्थायी निवास के ग्राम में उनके घर पर मानव मल के सुरक्षित निपटान योग्य एक शौचालय निर्मित है। यदि किसी ग्राम विकास अधिकारी तथा रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाओं के स्थायी निवास के ग्राम में उनके घर पर मानव मल के सुरक्षित निपटान योग्य शौचालय नहीं है तो उनके द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2017 के अन्दर एक सुरक्षित शौचालय का निर्माण कराया जायेगा।

लाभार्थियों का चयन

5. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाओं द्वारा सर्वप्रथम अपने आवंटित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम का भ्रमण कर बेसलाइन सर्वेक्षण के आधार पर लक्ष्य के अनुरूप शौचालय विहीन पात्र लाभार्थियों को चिन्हाकित करते हुए उनकी सूची तैयार की जायेगी और उसे ग्राम पंचायत से अनुमोदित कराकर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपनी संस्तुति के साथ उक्त सूची जिला पंचायतराज अधिकारी को तीन दिवस के अन्दर भेजेगें। जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उक्त सूची जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय सत्यापन टीम से सत्यापन कराकर सुरक्षित रखी जाएगी और उक्त सूची में अंकित कोई लाभार्थी यदि पात्र नही पाया जाता है तो उसकी लिखित सूचना सहायक विकास अधिकारी(पं0) के माध्यम से सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिला को 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रोत्साहन की धनराशि

6.(1) समस्त ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिला द्वारा लाभार्थी को प्रेरित कर उसे अपने स्वयं के संसाधनों से शौचालय का निर्माण कराने पर उन्हें शासनादेश संख्या-1911/33-3-2015-110/ 2012, दिनांक

http://shasnadesh.up.nic.in

एवं उसका भुगतान

13 जुलाई, 2016 के प्राविधानों के अनुसार रू0 150.00 प्रोत्साहन की धनराशि अनुमन्य होगी, जिसकी प्रथम किश्त रू0 75.00 का भुगतान शौचालय का निर्माण हो जाने एवं उसका प्रस्तर-8 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सत्यापन हो जाने के उपरान्त उसके द्वारा संलग्न प्रारूप पर निर्माण पूर्ण हो जाने की रिपोर्ट देने के 15 दिवस के अन्दर कर दिया जायेगा और शेष रू0 75.00 की द्वितीय किश्त का भुगतान लाभार्थी द्वारा निरन्तर छह माह तक शौचालय का प्रयोग करने की स्थिति में सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

6.(2) प्रस्तर-6(1) की उक्त प्राविधान के अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 13 जुलाई, 2016 के प्राविधानों के अनुसार सी0एल0टी0एस0 के अन्तर्गत ट्रिगरिंग फालोअप में लगी टीमों में अधिकतम रू0 10,000.00 प्रति ग्राम पंचायत प्रोत्साहन धनराशि के रूप में ओ0डी0एफ0 सत्यापन के उपरान्त जनपद स्तर पर उपलब्ध आई0ई0सी0 मद की धनराशि की सीमा अन्तर्गत जिला स्वच्छता समिति के अनुमोदन के उपरान्त भुगतान करने का प्राविधान है इसलिए ऐसे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाएं जो स्वच्छाग्रही के रूप में ट्रिगरिंग टीम के सदस्य है अथवा जिन्हें किसी ग्राम पंचायत को खुले में शौचमुक्त करने हेतु स्वामित्व सौंपा गया है अथवा जो फॉलोअप में लगी टीम के सदस्य हैं, उन्हें भी उक्तानुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन की धनराशि अनुमन्य होगी।

अनुश्रवण

7. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाओं के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निर्मित शौचालयों की प्रगति का विकास खण्ड स्तर पर साप्ताहिक व जनपद स्तर पर पाक्षिक अनुश्रवण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेन्ट कमेटी द्वारा प्रभावी व्यवस्था की जायेगी। मिशन कार्यालय को पाक्षिक विवरण प्रत्येक माह की 03 व 18 तारीख को संलग्न प्रारूप-2 पर उपलब्ध करायी जायेगी और जो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिला अपने कार्य क्षेत्र में लाभार्थी को प्रेरित कर न्यूनतम 25 शौचालयों का निर्माण कराने में असफल रहेंगी उनके सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थित नही रहती हैं और उनका ग्रामवासियों से सम्पर्क एवं संवाद स्थापित नही है। कार्य में अपेक्षित रूचि न लेने वाले ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

निर्माण पूर्ण होने की रिपोर्ट एवं सत्यापन

8. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाओ द्वारा शौचालय का निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त संलग्न प्रारूप-3 पर लाभार्थीवार विवरण सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध करायी जायेगी, जो खण्ड प्रेरक से 03 दिवस के अन्दर निर्मित शौचालयों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। निर्मित शौचालयों का खण्ड प्रेरक द्वारा भारत

http://shasndeshup.nic.in

सरकार की वेबसाइट पर एम0आई0एस0 फीडिंग और जियो टैगिंग (फोटोग्राफ अपलोड) की जायेगी। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा खण्ड प्रेरक की सत्यापन रिपोर्ट एवं प्रोत्साहन के भुगतान की अपनी संस्तुति अगले दिवस को जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसका सत्यापन जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर गठित जिला स्तरीय सत्यापन टीम से अथवा शासनादेश संख्या-96/2016/2923/33-3-2016-268/2016 दिनांक-25.11.2016 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कौशल विकास मिशन, आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित समूह के सदस्यों, एन.एस.एस., एन.वाई.के. आदि से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर थर्ड पार्टी के द्वारा सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराते हुए रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। जनपद स्तरीय सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के 02 दिन के अन्दर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रोत्साहन की धनराशि के भुगतान का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी को प्रोत्साहन की धनराशि उसके बैंक खाते में 02 दिवस के अन्दर स्थानान्तरित कर दी जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा की सम्बन्धित कर्मी द्वारा निर्माण पूर्ण होने की रिपोर्ट देने के अधिकतम 15 दिवस के अन्दर उसे प्रोत्साहन की धनराशि उसके खाते में प्राप्त हो जाये।

पुरस्कार 9. विकास खण्ड व जनपद स्तर पर अच्छा कार्य करने वाले ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाओं को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देष पृथक से निर्गत किये जायेगें परन्तु प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अपने स्थायी निवास के ग्राम में अपने घर पर शौचालय का निर्माण न कराने वाले तथा 31 जुलाई, 2017 तक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति न करने वाले ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक और महिला समाख्या की महिलाएं पुरस्कार के लिए पात्र नही होंगी।

अत: उपरोक्त निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त आदेश ग्राम्य विकास विभाग और महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

<u>संख्या व दिनांक:- तदेव।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- सचिव, पंचायतीराज उ0प्र0 शासन, पंचायतीराज अनुभाग-3।
4- निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
5- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
6- महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उ0प्र0।
7- निदेश क, महिला एवं बाल कल्याण, उ0प्र0।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उ0प्र0।
11- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in